राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1/2016

शिव प्रसाद गुप्ता —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.01.2016
आदेश की दिनांक : 26.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राहुल कामवार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.02.1980 को कृषि विभाग में एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी को कैशियर के पद का प्रभार भी दिया गया। दिनांक 25.11.1989 को मध्य रात्रि में एलडीसी के पद पर अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कैशियर के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय 36,729.30/– रुपये की राशि चोरी हो गई। अपीलार्थी ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और दिनांक 26.11.1989 को पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश नहीं की जा सकी और पुलिस द्वारा एफआर लगा दी गई। सीसीए नियमों के नियम 18 के तहत अन्य व्यक्तियों के साथ राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया था, जिसके द्वारा उनके खिलाफ कैश बुक को ठीक से बनाए न रखने और लापरवाही के संबंध में और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाने के संबंध में तीन आरोप लगाए गए थे। आरोप पत्र में उनके खिलाफ सरकारी धन के गबन के संबंध में ऐसा कोई आरोप नहीं था, बल्कि उनके द्वारा की गयी प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ आरोप लगाये गये थे. आरोप पत्र का जवाब उनके द्वारा दिया गया था और उनके खिलाफ जांच की गई थी और इससे पहले अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया था। आदेश दिनांक 12.06.1995 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को सेवा में बहाल कर दिया गया। आदेश दिनांक 06.12.1999 (अनुलग्नक–2) द्वारा उसके विरूद्ध 36,729.30 रूपये की वसूली के संबंध में दण्ड आदेश किया गया और उन्हें निलंबन अवधि का शेष वेतन नहीं

मिलेगा, सिवाय इसके कि निलंबन के दौरान उन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है और उनकी निलंबन अवधि को नियमित पेंशन गणना के उद्देश्य से किया गया है। दंड आदेश दिनांक 06.12.1999 के अनुसरण में अपीलार्थी ने चालान के माध्यम से राजकीय कोष में 36,729.30 रुपये की राशि जमा कर दी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.2002 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर 01.06.1995 से चयनित वेतनमान 1200–2050 में स्वीकृत किया गया और आदेश दिनांक 18.04.2002 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.02.1998 के स्थान पर 13.07. 2003 से चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार होगा, जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 01.02.1998 को 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.06.2002, 31.01.2003 एवं 27.06.2003 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2004 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 13.07.2003 से चयनित वेतनमान 5000–8000 प्रदान किया गया, जबकि वह दिनांक 01.02.1998 से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.10.2013 (अनुलग्नक–9) द्वारा दिनांक 19.12.1989 से 31.03.1995 तक की निलम्बन अवधि को कम करते हुये दिनांक 13.07.2012 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी स्वीकृत की गई, जबकि अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिनांक 01.02.2007 से तृतीय एसीपी प्राप्त करने का अधिकरी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार और 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.02.1998 से और 27 वर्षीय चयनित वेतनमान ए.सी.पी. दिनांक 01.02.2007 या दिनांक 01.02.2008 से समस्त पारिणामिक लाभ सहित दिलवाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 01.01.2002 अनुलग्नक–3, आदेश दिनांक 18.04.2002 अनुलग्नक–4, आदेश दिनांक 03.03.2004 अनुलग्नक–8 और आदेश दिनांक 09.10.2013 अनुलग्नक–9 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के बकाया रूपये और ऐरियर की राशि और संशोधित सलेक्शन स्केल आदि सभी पारिणामिक लाभ 18 प्रतिशत सहित दिलवाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। जिसमे अपीलार्थी द्वारा आरोप पत्र के संबंध में आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर विभाग द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मनन करते हुए आदेश

दिनांक 06.12.1999 के द्वारा इस प्रकार से आरोप पत्र का निस्तारण किया गया किः–

''अतः आरोप की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए श्री दौलतराम टेकवानी–कनिष्ठ लिपिक से 36,729.30 की वसूली किये जाने के एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है. साथ ही यह भी आदेश दिये जाते है कि श्री टेकवानी जिन्हे कि इस निदेशालय के आदेश क्रमांक–5219–25 दिनांक 19–12–1989 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा जिन्हे आदेश क्रमांक–1639–44 दिनांक 31–5–1995 के द्वारा तत्काल प्रभाव से जांचाधीन निलम्बन से बहाल किया गया था, कि निलम्बन अवधि में पूर्व में प्राप्त किये गये निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी परन्तु उक्त अवधि मात्र पेन्शन योजनार्थ सेवाकाल में गिनी जायेगी।''

उक्त दण्डादेश से अपीलार्थी को दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के कारण अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 01.01.2009 के द्वारा दिनांक 01.06.1995 से दिया गया एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 03.03.2004 से दिनांक 17.07.2003 से दिया गया और अपीलार्थी को 27 वर्षीय ए.सी. पी. का लाभ दिनांक 13.07.2013 से नियमानुसार स्वीकृत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। अपीलार्थी को नियमानुसार चयनित वेतनमान एवं एसीपी का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पर देय तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2019 से देय था, उसे स्वीकृत नहीं करने एवं दिनांक 01.07.2019 एवं उसके पश्चात प्रतिवर्ष देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने पर यह अपील प्रस्तुत की है। 18 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2010 से पे–स्केल 9300–34800 तथा ग्रेड–पे 3600/– में द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान प्रदान की गई है। वर्ष 2019 में अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 181/2019 पुलिस स्टेशन, मंडोर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2019 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया और बाद में आदेश दिनांक 08.01.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का निलंबन रद्द कर बहाल किया गया है। इसके बाद दिनांक 26.09.2019 को प्रत्यर्थी संख्या–3 ने सीसीए नियम के नियम 16 के तहत आरोप–पत्र जारी किया। अपीलार्थी को 16 सीसीए में जारी आरोप पत्र उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से विभाग की छवि धूमिल होने एवं आचरणों नियमों का उल्लघंन करने के आधार पर दिया है। यहां यह स्पष्ट करना

उचित होगा कि दिनांक 26.09.2019 को आरोपों का ज्ञापन जारी करके विभागीय जांच करने पर विचार किया गया था, जबकि तृतीय एसीपी विभागीय जांच हेतु आरोपों का ज्ञापन जारी करने से पहले देय थी। इसलिए अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन रहा है कि अपीलार्थी ने 27 वर्षीय एसीपी के लिए अपने विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा राज्य कर्मचारी के लिए निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत आचरण पाए जाने पर निलंबित किया गया एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जो वर्तमान में विभागीय जांच विचाराधीन है तथा अपीलार्थी द्वारा एसीपी एवं नियमित वेतन वृद्वि हेतु कोई आवेदन किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी दिनांक 01.07.2019 से देय है। उस तिथी तक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी एवं दर्ज आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी को अभी तक दोषी नहीं माना है। अतः अपीलार्थी को तृतीय एसीपी स्वीकृत करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने का विषय है यह सुस्थापित विधि है कि वेतन वृद्धि तभी रोकी जा सकती है जब किसी विभागीय जांच में वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है एवं वेतन वृद्धि रोकने का कोई दण्ड जारी नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8124/2012 मानसिंह हाडा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः–

"Learned counsel for the respondents opposed the writ petition and submitted that suspension of the petitioners was revoked only because trial was getting delayed but eventually the period of suspension would be regularized with reference to Rule 54 of the Rajasthan Service Rules, 1951 only after conclusion of trial. If petitioners are acquitted, respondents shall decide whether or not they are being paid differential amount of salary i.e. total emoluments including subsistence allowance and whether period of suspension would be treated to be on duty.

The aforesaid argument of the learned counsel for the respondents would not be justified for not granting the benefits aforesaid. Be that as it may, the benefit of consequential benefits of that part only can be decided as and when final under Rule 54 of the RSR is passed. However, Petitioners would be entitled to payment of annual grade increment, revision of pay and selection scale together with interest.

In the result, the writ petition is allowed. Respondents are directed to grant to the petitioners the benefit of due annual grade of increments deeming petitioners throughout in service, revision of pay consequent upon acceptance of recommendation of 5th and 6th Pay Commission and also the Selection Scale. The arrears shall be paid with interest @9% p.a. within a period of three months."

जहां तक अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का बिन्दु है। प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट नहीं है कि उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया हो अथवा वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में नाम होने के उपरान्त भी उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया हो। अतः यह बिन्दु प्रिमेच्योर होने से इस स्टेज पर विचारणीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन तथा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपील इस हद तक स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2019 से स्वीकार किया जावे एवं दिनांक 01.07.2019 से बकाया वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृत की जावे एवं बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग 3 माह में आदेश की पालना करना सुनिश्चित करेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)